बिहार सरकार
परिवहन विभाग

पत्रांक–02/कर (संशोधन)–03/2016, परि0 पटना, दिनांक–..................

ई–मेल/ निबंधित

प्रेषक,

संजय कुमार अग्रवाल, भा0प्र0से0
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, बिहार ।
सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार ।
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार ।
सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार ।
राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, NIC, बिहार, पटना ।
सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार ।
सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार ।
सभी प्रवर्तन निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक, बिहार।

विषय :– बिहार मोटरवाहन करारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2018 से संबंधित प्रारूप अधिसूचना का संसूचन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 –सहपठित– बिहार वित्त अधिनियम, 2011, 2013, 2014 एवं 2015 की विभिन्न धाराओं और उनके अन्तर्गत निर्मित अनुसूचियों में संशोधन तथा Ex-Showroom Price पर करारोपण के संबंध में इस विभाग की **प्रारुप अधिसूचना सं0–5168, दिनांक–08.08.2018** के बिहार गजट (असाधारण अंक) की की प्रति संलग्न करते हुए आपके सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाय।

अनु0– यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह0/–
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 02/कर (संशोधन)–03/2016, परि0 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 02/कर (संशोधन)–03/2016, परि0 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – सभी पदाधिकारी, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 02/कर (संशोधन)–03/2016, परि0 5258 पटना, दिनांक– 10/8/18

प्रतिलिपि – आई0टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को उक्त अधिसूचना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

9/8
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

Phone No.:- 0612-2546449, Fax :- 0612 - 2546212, E-mail:- transecy-bih@nic.in

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

पत्रांक–02/कर (संशोधन)–03/2016, परि0 5258 पटना, दिनांक– 10/8/18

ई–मेल/ निबंधित

प्रेषक,

संजय कुमार अग्रवाल, भा0प्र0से0
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, बिहार ।
सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार ।
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार ।
सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार ।
राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, NIC, बिहार, पटना ।
सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार ।
सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार ।
सभी प्रवर्तन निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक, बिहार।

विषय :– बिहार मोटरवाहन करारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2018 से संबंधित प्रारूप अधिसूचना का संसूचन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 –सहपठित– बिहार वित्त अधिनियम, 2011, 2013, 2014 एवं 2015 की विभिन्न धाराओं और उनके अन्तर्गत निर्मित अनुसूचियों में संशोधन तथा Ex-Showroom Price पर करारोपण के संबंध में इस विभाग की **प्रारुप अधिसूचना सं0–5168, दिनांक–08.08.2018** के बिहार गजट (असाधारण अंक) की की प्रति संलग्न करते हुए आपके सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाय।

अनु0– यथोक्त।

विश्वासभाजन,
9/8
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

Phone No.:- 0612-2546449, Fax :- 0612 - 2546212, E-mail:- transecy-bih@nic.in

निबंधन संख्या पी०टी०-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 श्रावण 1940 (श०)
(सं० पटना 760) पटना, बुधवार, 8 अगस्त 2018

परिवहन विभाग

अधिसूचना
8 अगस्त 2018

संख्या-02/कर (संशोधन)-03/2016-5168/परि०—मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा- 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 में संशोधन करना चाहते हैं, जिसका अधिनियम की धारा-212 द्वारा यथापेक्षित निम्नलिखित प्रारूप, एतद् द्वारा, उससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है और उसके द्वारा सूचना दी जाती है कि इस अधिसूचना के प्रकाशन से एक माह के भीतर उक्त अधिसूचना प्रारूप के संबंध में सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार के माध्यम से प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर विचार किया जायेगा।

संशोधन प्रारूप

मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा 212 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, जिसका पूर्व प्रकाशन उक्त अधिनियम की धारा-212 की अपेक्षा के अनुसार किया जा चुका है।

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ** ।—
   1. बिहार मोटरवाहन (संशोधन) करारोपण अधिनियम, 2018 कही जा सकेगी ।
   2. यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त होगा ।
   3. इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

2. बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा 5(3)-सह-पठित बिहार मोटरवाहन कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2016 (बिहार अधिनियम 11, 2016) की धारा 6 घ के तहत् प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :—

1. बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा 7(1)-सह-पठित बिहार वित्त अधिनियम 2013 की धारा 9 के अन्तर्गत निर्मित अनुसूची 1, भाग 'क' के खण्ड 'अ' के कॉलम 4 एवं 5 को निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जाता है :—

खंड	क्रमांक	निबंधन का स्टेज	वाहनों का वर्ग	
			मोटर साइकिल	व्यक्तिगत मोटर कार एवं 12 बैठान क्षमता तक के ओमनी बस
1	2	3	4	5
अ		निबंधन के समय अथवा प्रथम निबंधन के समय 1 वर्ष तक की उम्र ।	(i) एक लाख तक Ex-Showroom Price के दो पहिया वाहन पर एकमुश्त कर वाहन के Ex-Showroom Price का 8% की दर से । (ii) एक लाख से उपर एवं आठ लाख तक Ex-Showroom Price के दो पहिया वाहन पर एकमुश्त कर वाहन के Ex-Showroom Price का 9% की दर से । (iii) आठ लाख से उपर एवं पंद्रह लाख तक Ex-Showroom Price के दो पहिया वाहनों पर एक एकमुश्त कर वाहन के Ex-Showroom Price का 10% की दर से । (iv) पंद्रह लाख से उपर Ex-Showroom Price के दो पहिया वाहनों पर एक एकमुश्त कर वाहन के Ex-Showroom Price का 12% की दर से ।	(i) एक लाख तक Ex-Showroom Price के चार पहिया वाहन पर एकमुश्त कर वाहन के Ex-Showroom Price का 8% की दर से । (ii) एक लाख से उपर एवं आठ लाख तक Ex-Showroom Price के चार पहिया वाहन पर एकमुश्त कर वाहन के Ex-Showroom Price का 9% की दर से । (iii) आठ लाख से उपर एवं पंद्रह लाख तक Ex-Showroom Price के चार पहिया वाहनों पर एक एकमुश्त कर वाहन के Ex-Showroom Price का 10% की दर से । (iv) पंद्रह लाख से उपर Ex-Showroom Price के चार पहिया वाहनों पर एक एकमुश्त कर वाहन के Ex-Showroom Price का 12% की दर से ।

2 (क) बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा–7 की उपधारा–(1) एवं धारा–7(8)–सह–पठित बिहार वित्त अधिनियम, 2013 (बिहार अधिनियम 3, 2013)की धारा–9 के अन्तर्गत अनुसूची–1, भाग–'क', खण्ड–'अ' के कॉलम–4 एवं 5 तथा बिहार वित्त अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 15, 2014)की धारा–3 एवं धारा–4 के अन्तर्गत अनुसूची–1, भाग–'ग', क्रम संख्या–3(क)(ii)(क) में अंकित "वैट रहित" के स्थान पर "Ex-Showroom Price" प्रतिस्थापित किया जाता है।

2 (ख) बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा–5 की उपधारा (1)–सह–पठित बिहार वित्त अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 3, 2011) की धारा–15 के अन्तर्गत अनुसूची–1 के भाग–ग के क्रमांक–2 के उपक्रमांक–(क)(ख)(ग)(घ) एवं (ड) को क्रमशः निम्नरुपेण प्रतिस्थापित किया जाता है :–

क्रम	वाहन का प्रकार	कर
क	1000 किलोग्राम तक निबंधित लदान क्षमता	(i) 1000 किलोग्राम तक निबंधित लदान क्षमता वाले मालवाहकों पर राज्य में निबंधन के समय निबंधन की तिथि से 10 वर्षों के लिए एकमुश्त कर रू0 8000/– उदगृहित किया जायेगा । परन्तु उक्त श्रेणी के जो माल वाहक वाहन पूर्व से निबंधित है उन पर एक मुश्त कर की गणना पूर्व में भुगतान की गई राशि को घटाकर की जाएगी ; परन्तु और कि अगर वाहन द्वारा पूर्व में कर के रूप में रू0 8000/– से अधिक राशि का भुगतान कर दिया गया हो तो एक मुश्त कर देय नहीं होगा । (ii) 10 वर्षो से अधिक पुराने माल वाहको पर अगले प्रत्येक पांच वर्षो के लिये एक मुश्त कर रू0 8000/–उदगृहित किया जायेगा ; परन्तु उक्त वाहनों द्वारा देय कर एक मुश्त कर की गणना 10 वर्ष या 15 वर्ष की अवधि जो लागू हो, के बाद भुगतान किये गये राशि को घटाकर की जायेगी; परन्तु और कि अगर वाहन द्वारा पूर्व में कर के रूप में रू0 8000/– से अधिक राशि का भुगतान कर दिया गया है तो एक मुश्त कर देय नहीं होगा ।

क्रम	वाहन का प्रकार	कर
ख	1000 किलोग्राम से अधिक परन्तु 3000 किलोग्राम से अनाधिक निबंधित लदान क्षमता	(i) 1001 से 3000 किलोग्राम तक निबंधित लदान क्षमतावाले मालवाहकों पर राज्य में निबंधन के समय निबंधन की तिथि से 10 वर्षों के लिए एक मुश्त कर 6500/– प्रति टन अथवा उसके खंड वजन के दर से देय होगा; परन्तु ऐसे माल वाहक जो पूर्व से निबंधित है उन पर एक मुश्त कर की गणना पूर्व में भुगतान की गई राशि को घटाकर की जाएगी ; परन्तु और कि अगर वाहन द्वारा पूर्व में कर के रूप में प्रतिटन अथवा उसके अंश पर रू0 6500/– से अधिक राशि का भुगतान कर दिया गया है तो एक मुश्त कर देय नहीं होगा । (ii) 10 वर्षो से अधिक पुराने माल वाहको पर अगले प्रत्येक पांच वर्षो के लिये एक मुश्त कर रू0 6500/– प्रति टन अथवा उसके खंड वजन के दर से उद्गृहित किया जायेगा ; परन्तु यह कि उक्त वाहनों द्वारा देय एक मुश्त कर की गणना 10 वर्ष या 15 वर्ष की अवधि, जो लागू हो, के बाद भुगतान किये गये राशि को घटाकर की जायेगी ; परन्तु और कि अगर वाहन द्वारा पूर्व में कर के रूप में प्रतिटन अथवा उसके अंश पर रू0 6500/– से अधिक राशि का भुगतान कर दिया गया हो तो एक मुश्त कर देय नहीं होगा ।
ग	3000 किलोग्राम से अधिक परन्तु 16000 किलोग्राम से अनाधिक निबंधित लदान क्षमता	प्रति टन अथवा उसके अंश के लिए 750/– रू0 प्रति वर्ष
घ	16000 किलोग्राम से अधिक परन्तु 24000 किलोग्राम से अनाधिक निबंधित लदान क्षमता	प्रति टन अथवा उसके अंश के लिए 700/– रू0 प्रति वर्ष
ड.	24000 किलोग्राम से अधिक निबंधित लदान क्षमता	प्रति टन अथवा उसके अंश के लिए 600/– रू0 प्रति वर्ष

उपर्युक्त कर की दर में 3%की दर से वार्षिक वृद्धि की जायेगी जो प्रत्येक वर्ष एक अप्रैल से प्रभावी होगा, परन्तु यह वार्षिक वृद्धि वर्ष 2019 से प्रभावी होगी।

2(ग) बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा–5 की उपधारा (1)–सह–पठित बिहार वित्त अधिनियम, 2013 (बिहार अधिनियम 3, 2013) की धारा–11 के अन्तर्गत अनुसूची–1 भाग–ग के कम संख्या–3 (ग) को निम्न रुप से प्रतिस्थापित किया जाता है:–

"3 (ग) तिपहिया वाहनः

(क) चार व्यक्तियों तक की बैठान क्षमता (चालक को छोड़कर)

नये निबंधित तिपहिया वाहनों पर 15 वर्षों के लिए रु0 10,000 (दस हजार) एकमुश्त कर देय होगा।

अथवा

(i) सभी तीन पहिया वाहनों पर जो निबंधन के समय एक वर्ष की उम्र तक के हों, राज्य में प्रथम निबंधन की तिथि से 10 (दस) वर्षों के लिए एक मुश्त कर रु0 6,700 (छह हजार सात सौ) देय होगा।

(ii) 10 वर्षों से अधिक पुराने तिपहिया वाहनों पर अगले प्रत्येक पाँच वर्षों के लिए एकमुश्त रु0 6,000 (छह हजार) कर देय होगा।

(ख) 7 व्यक्तियों तक की बैठान क्षमता (चालक को छोड़कर)

नये निबंधित तिपहिया वाहनों पर 15 वर्षों के लिए रु0 15,000 (पन्द्रह हजार) एकमुश्त कर देय होगा।

अथवा

(i) सभी तीन पहिया वाहनों पर जो निबंधन के समय एक वर्ष की उम्र तक के हों, राज्य में प्रथम निबंधन की तिथि से 10 वर्षों के लिए एक मुश्त कर रु0 11,000 (ग्यारह हजार) देय होगा।

(ii) 10 वर्षों से अधिक पुराने तिपहिया वाहनों पर अगले प्रत्येक पाँच वर्षों के लिए एकमुश्त रु0 9,000 (नौ हजार) कर देय होगा।

2 (घ) बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम 1994 की धारा–5 की उपधारा–1 के अन्तर्गत अनुसूची–I भाग (ग) क्रम संख्या–4–सह–पठित बिहार वित्त अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 15, 2014) की धारा–5 की अनुसूची को निम्न रुप से प्रतिस्थापित किया जाता है :–

1	मालवाहक, मोटर कैब एवं मैक्सी कैब से अन्यथा पैसेन्जर परिवहन वाहन (चालक एवं संवाहक को छोड़कर)	कर की दर वार्षिक (साधारण बस)	कर की दर वार्षिक (सेमी डीलक्स बस)	कर की दर वार्षिक (डीलक्स)	कर की दर वार्षिक (वाल्वो मसीडीज एवं उसके समतुल्य बस)
(क)	13 व्यक्तियों से अन्यून और 26 व्यक्तियों से अनाधिक बैठान क्षमता	रू0 550 प्रति सीट	रू0 675 प्रति सीट	रू0 785 प्रति सीट	–
(ख)	27 व्यक्तियों से अन्यून और 32 व्यक्तियों से अनाधिक बैठान क्षमता	रू0 600 प्रति सीट	रू0 750 प्रति सीट	रू0 860 प्रति सीट	–
(ग)	33 व्यक्तियों या उससे अधिक बैठान क्षमता	रू0 700 प्रति सीट	रू0 870 प्रति सीट	रू0 1025 प्रति सीट	–
(घ)	वाल्वो, मसीडीज एवं उसके समतुल्य बस	–	–	–	रू0 1300 प्रति सीट

उपर्युक्त कर की दर में 2%की दर से वार्षिक वृद्धि की जायेगी जो प्रत्येक वर्ष एक अप्रैल से प्रभावी होगी, परन्तु यह वार्षिक वृद्धि वर्ष 2019 से प्रभावी होगी।

बिहार वित्त अधिनियम 2014 की धारा–5 की उपर्युक्त अनुसूची के अतिरिक्त शेष यथावत् रहेगी ।

2 (ङ) बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा–5 की उपधारा (1)–सह–पठित बिहार वित्त अधिनियम, 2013 (बिहार अधिनियम 3, 2013) की धारा–10 सह–पठित बिहार वित्त अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 15, 2014) की धारा–4 एवं बिहार वित्त अधिनियम, 2015 (बिहार अधिनियम 9, 2015) की धारा–14 के अन्तर्गत अनुसूची–1, भाग–'ग' के क्रम संख्या–3 (क) (ii) (क) के अन्तर्गत 12 बैठान क्षमता तक के मोटरसाईकिल/टैक्सी/मोटर कैब/मैक्सी कैब (तिपहिया वाहन को छोड़कर)के कर दर को निम्न रुप से प्रतिस्थापित किया जाता है :–

(i) एक लाख तक Ex-Showroom Price के व्यवसायिक उपयोग में लाये जाने वाले या रखे गये नये मोटरसाईकिल/टैक्सी/मोटर कैब/मैक्सी कैब पर एकमुश्त कर वाहन के Ex-Showroom Price का 8% की दर से 15 वर्षों के लिये।

(ii) एक लाख से उपर एवं आठ तक Ex-Showroom Price के व्यवसायिक उपयोग में लाये जाने वाले या रखे गये नये मोटरसाईकिल/टैक्सी/मोटर कैब/मैक्सी कैब पर एकमुश्त कर वाहन के Ex-Showroom Price का 9% की दर से 15 वर्षों के लिये।

(iii) आठ लाख से उपर एवं 15 लाख तक Ex-Showroom Price के व्यवसायिक उपयोग में लाये जाने वाले या रखे गये नये मोटरसाईकिल/टैक्सी/मोटर कैब/मैक्सी कैब पर एकमुश्त कर वाहन के Ex-Showroom Price का 10% की दर से 15 वर्षों के लिये।

(iv) 15 लाख से उपर Ex-Showroom Price के व्यवसायिक उपयोग में लाये जाने वाले या रखे गये नये मोटरसाईकिल/टैक्सी/मोटर कैब/मैक्सी कैब पर एकमुश्त कर वाहन के Ex-Showroom Price का 12% की दर से 15 वर्षों के लिये।

(v) बिहार वित्त अधिनियम, 2013 (बिहार अधिनियम 3, 2013) के नियम 10 के उपधारा 'ख' एवं 'ग' यथावत रहेगे ।

परन्तु मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 (यथा संशोधित) की अनुसूची–I भाग–क के अनुसार पूर्व से निबंधित वाहन एवं उनके प्रथम निबंधन से उम्र के आधार पर टैक्सी/मोटर कैब/मैक्सी कैब के लिए अधिरोपित एकमुश्त कर देय होगा।

(स्पष्टीकरण :– Ex-Showroom Price का अर्थ है, वाहन का मूल्य CGST, SGST, IGST एवं Compensation Cess सहित।)

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार अग्रवाल
सरकार के सचिव।

The 8th August 2018

No.02/Tax(Amendment)-03/2016 5168/Trans.—In exercise of the powers conferred by sec-211 of the Motor Vehicle Act, 1988, (Act 59,1988) the Governor of Bihar desires to make amendment in the Bihar Motor Vehicle Taxation Act., 1994. The following draft which is hereby published for the information of the persons to be affected by it, as required by section 212 of the Act and it is hereby given in notice. All objection and suggestions relating to the said draft of notification could be submitted within a month through all Joint commissioner -cum- secretary, Regional Transport Authority and District Transport Officer, Bihar

Draft of Notification

In exercise of the powers conferred by sec-211 of the Motor Vehicle Act 1988, (Act 59,1988) the Governor of Bihar is pleased to make the following amendments in Bihar Motor Vehicle Taxation Act., 1994 , Prior publication of which as required under section 212 of the Act has been made.

1. *Short Name, Extension & Commencement.—*
   (i) These Act. may be called the Bihar Motor Vehicle Taxation (Amendment) Act. 2018.
   (ii) It shall extend to the whole of sate of Bihar.
   (iii) It shall come into force on the date of its final publication in the Bihar Gazette.

2. In exercise of the powers conferred by section-6d of section-5(3) of the Bihar Motor Vehicle Taxation Act 1994 read with Bihar Motor Vehicle Taxation (Amendment) Act. 2016 (Bihar Act 11, 2016) the Governor of Bihar is pleased to make the following amenmends :-

   i. column-4 and 5 of section-A of part -A of schedule-1, made under section-9 of Bihar Finance Act., 2013 read with rule-7(1) of Bihar Motor Vehicle Taxation Act, 1994 are hereby substituated as following :-

Part	Sl	Stage of Registration	Class of Motor Vehicles	
			Motor Cycie	Motorcars, Jeep and Omnibuses up to seating Capacity of 12 used for persanal use
1	2	3	4	5
A		Up to one year of age at the time of Registration or first Registration.	(i) One time tax @ 8% of the Ex-showroom price shall be levied at the time of registration for up to one lac Ex-showroom price of the two wheeler Motor Vehicle. (ii) One time tax @ 9% of the Ex-showroom price shall be levied at the time of registration for Above one lac and up to Eight lac Ex-showroom price of the two wheeler Motor Vehicle . (iii) One time tax @ 10% of the Ex-showroom price shall be levied at the time of registration for Above Eight lac and up to Fifteen lac Ex-showroom price of the two	(i) One time tax @ 8% of the Ex-showroom price shall be levied at the time of registration for up to one lac Ex-showroom price of the four wheeler Motor Vehicle. (ii) One time tax @ 9% of the Ex-showroom price shall be levied at the time of registration for Above one lac and up to Eight lac Ex-showroom price of the four wheeler Motor Vehicle . (iii) One time tax @ 10% of the Ex-showroom price shall be levied at the time of registration for Above Eight lac and up to Fifteen lac Ex-showroom price of the four wheeler Motor

Part	Sl	Stage of Registration	Class of Motor Vehicles	
			Motor Cycle	Motorcars, Jeep and Omnibuses up to seating Capacity of 12 used for persanal use
1	2	3	4	5
			wheeler Motor Vehicle. (iv) One time tax @ 12% of the Ex-showroom price shall be levied at the time of registration for Above Fifteen lac of the two wheeler Motor Vehicle Ex-showroom price.	Vehicle. (iv) One time tax @ 12% of the Ex-showroom price shall be levied at the time of registration for Above Fifteen lac of the four wheeler Motor Vehicle Ex-showroom price.

2 (a) "Excluding VAT" writen in serial no-3 (a) (II) (A) in part-c of schedule-1in section-3 and section- 4 of Bihar Finance Act.-2014 (Bihar Act 15, 2014) and in column-4 and column-5 of section-A , Part-A of schedule-1of section-9 of Bihar Finance Act (Bihar Act 3, 2013) read with section-7(8) and sub-section 1 of sub section 9 of Bihar Motor Vehicle Taxation Act, 1994 is hereby substituted by "Ex-showroom price".

2 (b) Sub Serial No. (a), (b), (c), (d) and (e) of serial no.-2 of part c of schedule 1 of section 15 of Bihar Finance Act, 2011 (Bihar Act 3,2011) read with sub section 1 of section 5 of Bihar Motor Vehicle Taxation Act, 1994 are hereby substituted as following:-

Sl No.	Types of Vehicle	Tax
(a)	Upto 1000 kgs registered laden wight capacity	(i) One time tax of Rs. 8,000/- at the time of registration in the State for a period of ten years from the date of first registration shall be levied for goods vehicles upto 1000 kg weight capacity. Provided that one time tax payable by such vehicles already registered shall be calculated after deducting the tax amount already paid before ten years; Provided further that no one time tax shall be payable if the vehicle has already paid more than Rs 8000/- as taxes. (ii) For goods vehicles more than ten years old a one-time tax of Rs 8000/- for a period of every five years thereafter, shall be levied: Provided that one- time tax payable by such vehicles shall be calculated after deducting the tax amount already paid after thae ten years period of fifteen years period as applicable. Provided further that no one-time tax shall be payable if the vehicle has already paid more than 8000/- as taxes.
(b)	Exceeding 1000kgs but not eexceeding 3000 kgs of registered laden weight capacity	(i) One tiem tax of Rs. 6500/- per ton of part thereof at the time of registration for a period of ten years form the date of first registration shall be levied on goods vechicles registered upto 1001 to 3000 kg weight capacity. Provided that one time tax payable by such vehicles already registered shall be calculated after deducting the tax amount already paid before thn years;

Sl No.	Types of Vehicle	Tax
		Provided further that no one time tax shall be payable if the vehicle has already paid more thatn Rs.6500/- per ton of part thereof as taxes. (ii) For vehivles more thatn ten years old a one-time tax of Rs 6500/- per ton of part thereof for a period of every five years thereafter shall be levied; Provided that one-time tax payabel by such vehicles shall be calculated after deducting the tax amount already paid after the ten years period of fifteen years period as applicable; Provided further that no one-time tax shall be payable if the vehicle has already paid more than Rs 6500/- per ton or part thereof as taxes.
(c)	Exceeding 3,000 kgs but nor exceeing 16,000 kgs of registered laden weight capacity.	Rs 750/- per ton or part thereof
(d)	Exceeding 16,000 kgs but nor exceeing 24,000 kgs of registered laden weight capacity.	Rs 700/- per ton or part thereof
(e)	Exceeding 24,000 kgs of registered laden weight capacity.	Rs 600/- per ton or part thereof

Annual increment of 3% shall be levied in above rate of taxation, which shall be effective from 1st of April every year, but this increment shall be effective from the year, 2019.

2(c) Serial No. 3c of part c of shchedule 1 of section 11 of Bihar Finance Act.-2013 (Bihar Act 3, 2013) read with sub section 1 of sub section 5 of Bihar Motor Vehicle Taxation Act, 1994 is hereby subtituted as following:-

"3(c) Three wheelere-

(a) Thred Wheeler With seating capacity not more thatn 4 persons (excluding the driver).

A one time tax of Rs :10000/- shall be levied for 15 years for new registered vehicle.

or

Three wheelers- (i) A one time tax of Rs. 6700/-. on all three wheelers up to one year of age at the time of registration of a period of ten years from the date of first registration in the State:

(ii) A one time tax of Rs. 6000/- for a period of five years on three wheelers which are more than ten years old.

(b) Three wheelers with seating capacity up ot 7 persons(excluding the driver)

A one time tax of Rs. 15000/- shall be levied for 15 years from new registered vehicles.

or

(i) A one time tax of Rs 11000/- on all three wheelers up to one year of age at the fime of registration of a period of ten years from the date of first registration in the State.

(ii) A one time tax of Rs 9000/- for a period of five years on three wheelers which are mor than ten years old.

2(d) schedule 1 of section 5 of Bihar Finance Act.-2014 (Bihar Act 15, 2014) read with serial no. 4 of part c of schedule 1 of sub section 1 of section 5 of Bihar Motor Vehicle Taxation Act, 1994 are hereby substituted as following:-

1.	**Transport vehicles other than goods carriages, motor cabs and maxi cabs excluding of the driver and conductor.**	**Annual Rate of Tax (Ordinary Bus)**	**Annual Rate of Tax (Semi deluxe)**	**Annual Rate of Tax (deluxe)**	**Annual Rate of Tax (Volvo, Mercedies & Equivalent)**
(a)	Seating capacity not less than 13 persons and not more than 26 persons.	Rs. 550 per seat.	Rs. 675 per seat	Rs. 785 per seat	-
(b)	Seating capacity not less than 27 persons and not more than 32 persons.	Rs. 600 per seat.	Rs.750 per seat	Rs. 860 per seat	-
(c)	Seating capacity 33 persons or more.	Rs. 700 per seat.	Rs.870 per seat	Rs. 1025 per seat	-
(d)	Volvo, Mercedez and equivalent buses	-	-	-	Rs. 1300 per seat

Annuai increment shall be levied in above rate of taxation, which shall be effective from 1st of April every year, but this increment shall be effective from the year, 2019.

2 (e) The rate of taxation of Motor cycle/Taxi/Moto Cab/Maxi Cab (excluding Three Wheelers) having seating capacity up to 12 under serial no. 3(a)(ii)(a) of part c, schedule 1 under section 14 of Bihar Finance Act, 2015 (Bihar Act 9, 2015) and section 4 of Bihar Finance Act, 2014 (Bihar Act 15, 2014) read with section 10 of Bihar Finance Act, 2013 (Bihar Act 3, 2013) read with sub section (1) of section 5 of Bihar Motor Vehicle Act, 1994 is substituted as following:-

(i) One time tax @ 8% of the Ex-showroom price shall be levied at the time of registration for a period of 15 years for up to one lac Ex-showroom price of Motorcycle/ Taxi/Motor Cab/Maxi Cab.

(ii) One time tax @ 9% of the Ex-showroom price shall be levied at the time of registration for a period of 15 years for above one lac and up to eight lac Ex-showroom price of Motorcycle/ Taxi/Motor Cab/Maxi Cab.

(iii) One time tax @ 10% of the Ex-showroom price shall be levied at the time of registration for a period of 15 years for above eight lac and up to a fifteen lac Ex-showroom price of Motorcycle/ Taxi/Motor Cab/Maxi Cab.

(iv) One time tax @ 12% of the Ex-showroom price shall be levied at the time of registration for a period of 15 years for above fifteen lac Ex-showroom price of Motorcycle/ Taxi/Motor Cab/Maxi Cab.

(v) Sub -section b and c of rule 10 of bihar finance act, 2013(bihar act 3, 2013) shall be as it is.

Provided that one time tax as applicable shall be levied on the basis of age from vehicles already registerd as per schedule I part -A of bihar motor vehicle taxation act, 1994 (as amended).

(Explanation :– Ex-Showroom Price means the cost of Vehicle Including CGST, SGST, IGST and Compensation Cess).

By order of the Governor of Bihar,
SANJAY KUMAR AGARWAL,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 760-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in